

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुशोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 437/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर इण्डिया लि.) पंजीकृत कार्यालय- 19 ए धूलेश्वर  
गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. ईमामुदीन पुत्र श्री वजीर तेली,  
पता :- लुहारों का मोहल्ला, वार्ड नम्बर 24, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
2. ईस्लामुदीन पुत्र श्री वजीर तेली,  
पता :- शाहपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 24.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24-07-2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी ईस्लामुदीन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्रोपर्टी सिचुएटेड एट मुंशीपल कॉर्पोरेशन, वार्ड नम्बर 9, तहसील शाहपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 86.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 3,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07-12-2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 3,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण राशियों के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 3,00,981/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.12.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन

प्र  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



नोटिस जारी किया गया। अपाथीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अपाथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में इसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अपाथी ईस्लामुदीन के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्रोपर्टी सिचुरिटी एट मुशीपल कौण्शेरेशन, वार्ड नम्बर 9, तहसील शाहपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 86.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने के संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने में बावन्ध करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर